बिहार सरकार

उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना

शुद्धि -पत्र

साइकिल-रिक्शा कॉम्प्लेकस, औद्योगिक क्षेत्र बेला, मुजफ्फुरपुर में लेदर फुटवियर निर्माण क्लस्टर हेतु सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना के निमित भवन के मरम्मति एवं जीर्णोद्धार तथा मशीन एवं उपकरणों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल रू0 1,06,55,000.00(एक करोड़ छः लाख पचपन हजार रूपये मात्र) के आयोजन की प्रशासनिक स्वीकृति देने संबंधी राज्यादेश संख्या-1753 दिनांक-14.06.2017 में निम्नवत आंशिक संशोधन किए जाते हैं:-

1.राज्यादेश की कंडिका-2 में 'उक्त कार्य आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आयडा),पटना द्वारा कराया जाएगा' के स्थान पर 'साइकिल-रिक्शा कॉम्प्लेकस के भवन के मरम्मति एवं जीर्णोद्धार का कार्य आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आयडा),पटना द्वारा कराया जाएगा तथा मशीन एवं उपकरणों के क्रय का कार्य उद्योग निदेशक, बिहार, पटना द्वारा कराया जाएगा तद्नुसार मशीन एवं उपकरणों के क्रय एवं उत्पादन पूर्व विविध खर्च हेतु आवंटित राशि रू0-66,89,000/-(छियासठ लाख नवासी हजार रूपये मात्र) उद्योग मित्र, बिहार, पटना के पी0एल0 खाता सं0-277 में रखा जाएगा एवं उद्योग निदेशक, बिहार, पटना के निदेश के आलोक में राशि का व्यय किया जाए।' पढ़ा जाय।

2.शेष यथावत रहेंगे।

ह0/-

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-:2/उ0नि0/क्लस्टर-24-05/2017-..................पटना,दिनांक............/2017

प्रतिलिपिः- महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को राज्यादेश संख्या 1753 दिनांक-14.06.2017 के संदर्भ में उसकी प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-02/उ0नि0/क्लस्टर-24-05/17.647.... पटना, दिनांक 15.2...../2017

प्रतिलिपिः- प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आयडा),पटना/ उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/ अपर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र बिहार, पटना/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02/ प्रशाखा-05, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ योजना शाखा, प्रशाखा-01(सरकार)/ आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक-2/उ0नि/ क्लस्टर-24-05/2017-1753

(40)

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 14 जून, 2017..

विषयः- साइकिल-रिक्शा कॉम्प्लेक्स, औद्योगिक क्षेत्र, बेला, मुजफ्फरपुर में लेदर फुटवियर निर्माण क्लस्टर हेतु सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना के निमित्त भवन के मरम्मति एवं जीर्णोद्धार तथा मशीन एवं उपकरणों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल रू0 1,06,55,000.00 (एक करोड़ छः लाख पचपन हजार रूपये मात्र) के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेशः स्वीकृत।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा लेदर सेक्टर में आपार संभावनाएँ को देखते हुए औद्योगिक क्षेत्र, बेला, मुजफ्फरपुर में अवस्थित साइकिल-रिक्शा कॉम्प्लेक्स, को लेदर फुटवियर निर्माण के लिए सामान्य सुविधा केन्द्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इस सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना के निमित्त साइकिल-रिक्शा कॉम्प्लेक्स के भवन के मरम्मति एवं जीर्णोद्धार पर रू0 39,66,000/- (उनतालिस लाख छियासठ हजार रूपए) तथा मशीन एवं उपकरणों के क्रय एवं उत्पादन पूर्व विविध खर्च हेतु रू0 66,89,000/- (छियासठ लाख नवासी हजार रूपए) कुल रू0 1,06,55,000.00 (एक करोड़ छः लाख पचपन हजार रूपये मात्र) की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।

2. उक्त कार्य आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आयडा), पटना द्वारा कराया जाएगा।

3. साइकिल-रिक्शा कॉम्प्लेक्स के भवन के मरम्मति एवं जीर्णोद्धार का कार्य भवन निर्माण विभाग के अधिसूचित दर पर किया जाएगा। गुणवत्ता के अनुरूप कार्य कराने की पूर्ण जवाबदेही आयडा की होगी।

4. सामान्य सुविधा केन्द्र के निमित्त संलग्न सूची के अनुसार मशीन एवं उपकरणों के क्रय तथा उत्पादन पूर्व विविध खर्च हेतु राशि का व्यय बिहार वित्तीय नियमावली में निहित प्रावधानों का पालन किया जाएगा। गुणवत्तायुक्त मशीन एवं उपकरणों का क्रय ख्यातिप्राप्त कंपनी से किया जाएगा। मशीन एवं उपकरणों की आपूर्त्ति कम-से-कम एक वर्ष के ए0एम0सी0 कॉन्ट्रैक्ट पर किया जाएगा तथा इसको संचालित करने के लिए आपूर्त्तिकर्त्ता के द्वारा मशीन एवं उपकरणों की आपूर्त्ति टर्न-की आधार पर करना होगा। (सूची संलग्न)

5. मरम्मति एवं जीर्णोद्धार हेतु रू0 39,66,000/- (उनतालिस लाख छियासठ हजार रूपए) का व्यय वहन वित्तीय वर्ष 2017-18 में मांग संख्या-

(68)

23 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-2852-उद्योग, उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-102- औद्योगिक उत्पादकता, उपशीर्ष 0163- व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओं का सृजन विकास एवं रखरखाव- बिहार व्यापार विकास कोष, विपत्र कोड- 23-2852801020163, के अंतर्गत विषय शीर्ष 0163.27.01 लघु कार्य मद में उपबंधित एवं आवंटित राशि से की जाएगी।

6. मशीन एवं उपकरणों के क्रय एवं उत्पादन पूर्व विविध खर्च हेतु रू0 66,89,000/- (छियासठ लाख नवासी हजार रुपए) का व्यय वहन वित्तीय वर्ष 2017-18 में मांग संख्या-23 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-2852-उद्योग, उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-102- औद्योगिक उत्पादकता, उपशीर्ष 0163- व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओं का सृजन विकास एवं रखरखाव- बिहार व्यापार विकास कोष, विपत्र कोड- 23-2852801020163, के अंतर्गत विषय शीर्ष 0163.52.02 मशीनें एवं उपस्कर, अन्य मद में उपबंधित एवं आवंटित राशि से की जाएगी।

7. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा योजना के नोडल पदाधिकारी ~~महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरपुर~~ होंगे और नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।

8. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से बी0 टी0 सी0 फार्म 26 पर होगी।

9. इस राशि की निकासी कर आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के पी0 एल0 खाता संख्या- P.LA 268......... में उपलब्ध कराई जाएगी।

9. इस राशि की निकासी में महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ज्ञापांक 1753 दिनांक 14.6.17 (ह०) 14/6/2017
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

प्रतिलिपिः- जिला कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह०) 14/6/2017
प्रधान सचिव,
ज्ञापांक 1753 दिनांक 14.6.17 उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

प्रतिलिपिः- प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आयडा), पटना/ संयुक्त उद्योग निदेशक (श्री सिन्हा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। ज्ञापांक 1753 दिनांक 14.6.17

प्रतिलिपिः- सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02/ प्रशाखा-05, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ योजना शाखा, प्रशाखा-01 (सरकार), आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह०) 14/6/2017
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।